2023/66

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री ललित पुत्र श्री घेवरचन्द सोनी
निवासी 108, सिपाहियों का वास
भैरूघाट, पाली मारवाड
जिला पाली।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
आयुक्त नगर परिषद सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 08 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.03.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर परिषद सिरोही को दिनांक 23.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इन्दिरा गांधी शहरी योजना में आवेदित पद नाम शहरी रोजगार सहायक नोन टी.एस.पी. क्षेत्र से दिव्यांग श्रेणी के कितने आवेदन प्राप्त हुए, आवेदकों के नाम, जन्मतिथि एवं कार्मिक कार्यालय जयपुर से इस पद पर क्या कार्यवाही की गई एवं चयन किए गए शहरी रोजगार सहायक दिव्यांग श्रेणी के नाम, जन्मतिथि, स्नातक के कितने अंकों पर चयन किया है, से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर परिषद सिरोही को दिनांक 23.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इन्दिरा गांधी शहरी योजना में आवेदित पद नाम शहरी रोजगार सहायक नोन टी.एस.पी. क्षेत्र से दिव्यांग श्रेणी के कितने आवेदन प्राप्त हुए, आवेदकों के नाम, जन्मतिथि एवं कार्मिक कार्यालय जयपुर से इस पद पर क्या कार्यवाही की गई एवं चयन किए गए शहरी रोजगार सहायक दिव्यांग श्रेणी के नाम, जन्मतिथि, स्नातक के कितने अंकों पर चयन किया है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूचना आयुक्त नगर परिषद सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि आयुक्त नगर परिषद सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2024.01.06 15:15:49 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner